

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

शुद्धि-पत्र

पटना, दिनांक-

संख्या-बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT Part(2) (521641).....

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-13 दिनांक-21.04.2025 के कंडिका-8, 9 एवं 16 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है:-

1. कंडिका-8 एवं 9 में वर्णित तथ्यों के स्थान पर 'जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा विभागीय पत्रांक 110 दिनांक 27.09.2024 के आलोक में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 50,000/- (पचास हजार) रुपये प्रति विद्यालय की दर से अनुरक्षण/मरम्मत हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा राशि की निकासी नियमानुसार Fully Vouched Bill के आधार पर की जायेगी' पढ़ा जाय।
2. स्वीकृत्यादेश के कंडिका-16 में अंकित 'अग्रिम निकासी' के स्थान पर 'Fully Vouched Bill पर निकासी' पढ़ा जाय।


शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगे।

ह०/-

उप सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:-संख्या-बजट/आव-11001/1/2023-SEC_5-EDU DEPT Part(2) (521641)-~~347~~ पटना, दिनांक, 10/02/2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/AC-DC कोषांग/सहायक निदेशक (योजना)/उप निदेशक-सह-बजट पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

